न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) समक्षः—दिलीप सिंह

<u>आर.सी.एस.ए-300088 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक-31.08.2015</u> फाई. क.234503009492015

- मीरा बाई उम्र-75 वर्ष पिता गोकलिसंह पित हिरदेलाल जाति परधान निवासी-वार्ड नम्बर 15 बैहर, तहसील बैहर
- 2. सावित्री बाई उम्र लगभग 26 वर्ष पिता गोकलसिंह पति पंचम निवासी—सुखाईटोला, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट
- 3. शिवरी बाई उम्र–65 वर्ष पिता गोकलसिंह पति श्यामलाल निवासी–मरारीटोला, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट
- मालती बाई उम्र लगभग ४९ वर्ष, पिता हरिप्रसाद
- 5. रविकुमार उम्र 42 वर्ष पिता हरिप्रसाद
- 6. नन्दिकशोर उम्र 43 वर्ष पिता हरिप्रसाद
- 7. शशी बाई उम्र 39 वर्ष पिता हिरप्रसाद क.—4, 5, 6, 7 सभी निवासी वार्ड नम्बर—1 बुढी, तहसील व जिला बालाघाटवादीगण

-// <u>विरूद</u>्ध//-

- 1. उदयसिंह उम्र लगभग 62 वर्ष पिता गोकूल, जाति परधान, निवासी वार्ड नम्बर—15 बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
- 2. मध्यप्रदेश तर्फे कलेक्टर महोदय, बालाघाट

.....प्रतिवादीगण

-//<u>निर्णय</u>//-(<u>आज दिनांक-30.10.2017 को घोषित</u>)

- 1. वादीगण ने यह वादपत्र हक की घोषणा एवं संशोधन पंजी दिनांक—28.08. 2014 संशोधन क.—12 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने बाबद् प्रस्तुत किया है।
- 2. वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि ख.नं—18 रक्तबा 4.057 / 10.00 मौजा मोहबट्टा प.ह.नं—18 रा.नि.मं. बैहर, तह. बैहर जिला बालाघाट की भूमि वादीगण के हक मालिकी एवं कब्जे की है। वादी क—1,2,3 एवं प्रति.क—1 तथा वादी क—4,5,6,7 के नाना गोकुलिसंह के बड़े भाई विष्णुसिंह थे, जो ला—औलाद फौत हुए थे। विवादित भूमि विष्णुसिंह के नाम पर थी, जिसके मरने के बाद सगनीबाई के नाम पर आई थी। गोकुलिसंह वादी क—1 लगा. 3 एवं प्रति.क—1 के पिता एवं शेष वादीगण के नाना थे, जो फौत हो चुके हैं। मीराबाई गोकुलिसंह की बड़ी पुत्री थी, जिसका विवाह हिरदेलाल के साथ हुआ था। विष्णुसिंह और सगनीबाई ने वादी क—1 एवं उसके पित हिरदेलाल को विवाह के

6 माह बाद बैहर बुला लिया था। वादी क-1 विवादित भूमि पर कृषि कार्य करती थी। वादी क—1 ने वादी क.—2,3 एवं 4,7 की मां सुभद्राबाई एवं प्रति.क—1 का पालन—पोषण व विवाह किया था। सुभद्राबाई फौत हो चुकी हैं। विष्णुसिंह एवं सगनीबाई के जीवनकाल तक उनका पालन—पोषण वादी क—1 ने किया था। प्रति.क—1 का विवाह सगनीबाई की मृत्यु के बाद वादी क—1 ने किया था। प्रति. क—1 की विवाह के 4—5 वर्ष पश्चात् सी.आई.एस.एफ. में भिलाई में नौकरी लग गई थी, तो वह वहां चला गया था। प्रति.क-1 ने वर्ष 2012-13 में सर्विस से स्वेच्छिक सेवानिवृद्धि ले ेली थी, इसके बाद उसने पटवारी, आर.आई. से मिलकर धन के द्वारा राजस्व प्रलेखों में विवादित भूमि पर स्वयं को मृतक विष्णु का एकमात्र पुत्र बताकर एवं मृतक विष्णु, सगनीबाई के मृत्यु प्रमाणपत्र बनाकर स्वयं का नाम विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवा लिया था, जबकि सगनीबाई की मृत्यु वार्ड नंबर-15 बैहर में हुई थी। तहसीलदार बैहर से विवादित भूमि के नामांतरण की कोई अनुज्ञा प्राप्त नहीं की थी। प्रति.क–1 ने पटवारी, आर. आई. से दिनांक—28.08.15 की संशोधन पंजी में अपना नाम दर्ज करवा लिया था, जो वादीगण पर बंधनकारक नहीं है, जबिक प्रति.क्-1 मृतक गोकुलसिंह का पुत्र एवं वादी क-1 लगा. 3 का छोटा भाई होकर वादी क-4 लगा. 7 का सगा मामा है। विवादित भूमि पर वादी क—1 लगा. 3 एवं वादी क—4 लगा. 7 का 1/5 का अंश है। वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रति.क. 1 ने वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर अपने विशिष्ट कथन में बताया है कि प्रति.क—1 जब बहुत छोटा था, तभी सभी बहनों की शादी हो गई थीं, वह अपने ससुराल चलीं गई थीं एवं प्रति.क—1 अपने माता—पिता के साथ निवास करने लगा था। प्रति. क—1 की 2 वर्ष की उम्र में उसकी माता का निधन हो गया था उसके बाद प्रति. क—1 उस समय अकेला था। प्रतिवादी क—1 का लालन पालन करने वाला कोई नहीं था तब उसके बड़े पिता एवं बड़ी माता विष्णु सिंह एवं सगनीबाई जो लाऔलाद थे, उन्होंने अपने सामाजिक कार्यक्रम के समय प्रति.क—1 को वादी क—1,2,3 एवं प्रति. क—1 की चाची श्रीमती राधा ताराम व अन्य पंचों के समक्ष गोद लेकर अपना पुत्र मान लिया था और राधाबाई व पंचों के समक्ष प्रतिवादी क—1 की बड़ी मां व बड़े पिता ने कहा था कि आज से प्रति. क—1 उनका पुत्र है, उसकी शिक्षा दीक्षा, पालन—पोषण वह करेंगे और भविष्य में वह उनका उत्तराधिकारी होगा। प्रति.क—1 लगभग 5 वर्ष का था, तब विष्णुसिंह का निधन हो गया था एवं दिनांक—25.09.1982 को सगनीबाई की मृत्यु हो गई है। प्रति.क—1

का पालन पोषण तथा विवाह सगनीबाई ने किया था। प्रति.क—1 उसके बड़े पिता एवं बड़ी माता का एकमात्र उत्तराधिकारी हैं एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रति. क—1 ने उनकी भूमि पर कृषि कार्य किया है। प्रतिवादी क—1 के आवेदन के आधार पर तहसीलदार बैहर ने आपित्त पेश नहीं होने पर प्रति.क—1 का नाम विवादित भूमि पर नामांतरण किया है। प्रति.क—1 विष्णु एवं सगनीबाई का विधिक उत्तराधिकारी है। प्रति.क—1 ने वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रकरण में तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क.🗸	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1 The second	क्या वादग्रस्त संपत्ति वादीगण की पैतृक संपत्ति मौजा मोहबट्टा, प.ह.नं मोहबट्टा, खसरा नंबर—18 रकबा 4.057 हेक्टेयर 10 एकड़ भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति होने से वादीगण का इस संपत्ति के एक अंश पर स्वत्व है ?	''प्रमाणित नहीं''
2	क्या संशोधन पंजी क.—12 दिनांक—28.08. 2014 में किया गया नामांतरण विधि विरूद्ध होने से प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य हैं ?	'प्रमाणित नहीं''
3	क्या विवादित संपत्ति के पूर्व स्वामी स्व. विष्णुसिंह एवं सगनीबाई द्वारा प्रतिवादी क.—1 को गोदपुत्र के रूप में स्वीकार किया गया था ?	्र्यूप्यमाणित नहीं'' र
4	सहायता एवं व्यय ?	बादीगण का वादपत्र निर्णय की कंडिका—15 के अनुसार निरस्त किया गया है।

वादप्रश्न क.-01 व 2 का निराकरणः-

- 5. वादप्रश्न क.—1 एवं 2 एक—दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए दोनों का वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6. मीराबाई वा.सा.१ ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में बताया है कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैतृक भूमि सर्वे क—18 रकबा 4.057 / 10.00 हेक्टेयर ग्राम मोहबट्टा प.ह.नं—18 तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित

है। वादी क-1, 2, 3 प्रति.क-1 एवं वादी क.-1 के पिता तथा वादी क-4 लगा. 7 के नाना गोकुलसिंह के बड़े भाई विष्णुसिंह एवं उनकी पत्नी सगनीबाई थे, दोनों लाओलाद फौत हुए थे। विष्णु की मृत्यु के बाद विवादित भूमि उसकी पत्नी के नाम पर आई थी। गोकुलसिंह वादी कृ.—1 लगा. 3 एवं प्रति.क—1 के पिता एवं शेष वादीगण के नाना थे, जो 85-87 वर्ष पूर्व फौत हो चुके हैं। मीराबाई, गोकुलसिंह की सबसे बड़ी पुत्री है। मीराबाई का विवाह हिरदेलाल के साथ हुआ था। विष्णु एवं सगनी वृद्ध हो चुके थे, इस कारण हिरदेलाल को विवाह के पश्चात् 6 माह के अंदर बैहर बुला लिया था एवं हिरदेलाल घर जमाई बनकर विष्णुसिंह एवं सग्नीबाई एवं वादी क—1 लगा. 3, वादी क.—4 लगा. 7 की मॉ सुभद्राबाई एवं प्रति.क-1 उदयसिंह के साथ शामील परिवार में रहने लगा था। वादी क.-1 वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करती थी एवं विवादित भूमि पर कोदो, कुटकी, ज्वार आदि लगाती थी, जिससे प्राप्त होने वाली आय से पूरे परिवार का पालन पोषण करती थी। वर्ष 1981 में सगनीबाई एवं वर्ष 2012 में सुभद्राबाई की मृत्यु हुई एवं लगभग 30-40 वर्ष पूर्व विष्णु की मृत्यु हुई है। उक्त साक्षी ने विष्णुसिंह एवं सगनीबाई के जीवनकाल तक उनका पालन-पोषण एवं मृत्यु के पश्चात् अंतिम संस्कार किया था।

मीराबाई वा.सा.1 का यह भी कहना है कि प्रति.क्-1 उदयसिंह का विवाह सगनीबाई की मृत्यु के 3-4 वर्ष बाद हुआ था। प्रति.क-1 की विवाह के 4-5 वर्ष पश्चात् सी.आई.एस.एफ. छत्तीसगढ़ में नौकरी लग गई थी। इस कारण वह बैहर कभी–कभी आता था। प्रति.क.–1 ने वर्ष 2012–13 में नौकरी से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ले ली थी, बैहर आकर वादीगण को बिना कोई सूचना दिये मृतक विष्णुसिंह का स्वयं को एकमात्र पुत्र बताकर पटवारी, आर.आई. से मिलकर झूठे दस्तावेज तैयार कर विवादित भूमि के राजस्व प्रलेख में वर्ष 2014 में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। विवादित भूमि का विकय करने का प्रयास करने लगा था, तब वादीगण ने उदयसिंह से पूछा था तो उदयसिंह ने बताया था कि उसने विवादित भूमि पर सभी का नाम दर्ज करवाया है, तब वादीगण ने विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों की नकल निकलवाई थी, तब उन्हें जानकारी हुई थी कि प्रति. क-1 ने किसी वादीगण का नाम राजस्व प्रलेख में दर्ज नहीं कराया था, केवल अपना नाम दर्ज करवाया था। वादीगण को यह भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि प्रति.क-1 ने स्वयं को विष्णुसिंह का एकमात्र पुत्र बताकर, इस आशय का शपथपत्र, आवेदन एवं अन्य दस्तावेज देकर प्रदर्श पी-1 का शपथपत्र, नोटरी से बनवाकर बैहर के समक्ष दिनांक-07.01.2013 का आवेदन प्रदर्श पी-3 थाना बैहर से सगनीबाई की मृत्यु के संबंध में प्रदर्श पी-2 का प्रमाणपत्र प्राप्त कर ग्राम मोहबट्टा से सगनीबाई का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी—5 बनवाकर विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लिया था, जबिक सगनीबाई की मृत्यु वार्ड नंबर 15 बैहर में हुई थी। प्रति.क—1 ने नामांतरण प्रक्रिया का कोई विधिक पालन नहीं किया था एवं तहसीलदार बैहर से नाम की कोई अनुज्ञा प्राप्त किये बिना आर.आई., पटवारी से मिलकर दिनांक—28.08.15 की संशोधन पंजी में प्रति. क—1 से अपना नाम दर्ज करवा लिया है। प्रति.क—1, वादी क—1 लगा. 3 का छोटा भाई है एवं वादी क—4 लगा. 7 का मामा होकर मृतक गोकुलसिंह का पुत्र है, इस कारण संशोधन पंजी वादीगण पर बंधनकारक नहीं है। विवादित भूमि पर वादीगण का 1/5 अंश का अधिकार है।

- कीर्तनसिंह वा.सा.२ ने मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में वादी की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि वादीगण के पिता एवं उनके भाई विष्णुसिंह ग्राम मोहबट्टा में एक साथ निवास कर 10.00 एकड़ खानदानी भूमि पर कृषि कार्य करते थे। मीराबाई परिवार की बड़ी पुत्री थी, माता-पिता की मृत्यु होने के कारण उसने वादी क.-2, 3 एवं प्रति.क-1 का पालन-पोषण किया था। यह साक्षी वादीगण एवं प्रति.क-1 के परिवार को जन्म से जानता है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में दिनांक-07.01.2013 का नोटरी से संपादित शपथपत्र प्रदर्श पी-1 तहसीलदार बैहर को दिया गया आवेदन प्रदर्श पी-3 दिनांक-17.02.13 का थाना बैहर का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी—2 दिनांक—02.08.15 को ग्राम पंचायत मोहबट्टा द्वारा प्रदाय किया गया वारसान का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-4 मीराबाई का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-5 दिनांक-02.07.15 को मीराबाई द्वारा तहसीलदार बैहर को नकल के लिए दिये गए आवेदन प्रदर्श पी-6 दिनांक-02.08.15 का पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 दिनांक-29.07.15 के ज्ञापन प्रदर्श पी-8, दिनांक-28.08.14 की संशोधन पंजी प्रदर्श पी-9 वर्ष 2014-2015 के खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श पी—12, सगनीबाई के मृत्युप्रमाणपत्र की छायाप्रति प्रदर्श पी-13(सी), कम्प्यूट्रीकृत समग्र आई.डी. की छायाप्रति प्रदर्श पी-14 प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत मोहबट्टा की दिनांक-31.07.2015 की मूल रसीद प्रदर्श पी-10 एवं पावती रसीद प्रदर्श पी-11 प्रस्तुत की है।
- 9. प्रतिवादी उदयसिंह प्र.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में बताया है कि वादी क—1 लगा. 3 एवं वादी क—4 लगा. 7 की माँ विवाह होकर उनकी ससुराल में निवास करने लगी थी, तब उक्त साक्षी दो वर्ष का था, उस समय उसके पिता का निधन हो गया था। जब साक्षी अकेला था, तब उसका पोषण—पालन करने के लिए कोई नहीं था, तब उसके बड़े पिता विष्णुसिंह बड़ी माँ सगनीबाई जो लाओलाद थे, उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम के समय उक्त साक्षी को

वादी क-1 लगा. 3 एवं साक्षी की चाची राधा ताराम के सामने गोद ले लेकर यह कहा था कि यह आज से उनका पुत्र है। वह उसकी शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण करेंगे। उसके पांच वर्ष बाद साक्षी के बड़े पिता का निधन हो गया था, उसके बाद साक्षी का पोषण-पालन, शिक्षा-दीक्षा उसकी बड़ी माँ ने किया था एवं उक्त साक्षी का विवाह कराया था। साक्षी की बड़ी माँ सगनीबाई की दिनांक—25.09. 1982 को हृदयगति रूकने से मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद साक्षी ने उनकी तेरहवीं का कार्यक्रम किया था, इस तरह उक्त साक्षी उसकी बड़ी माँ का एक मात्र उत्तराधिकारी था। उक्त साक्षी को जब से गोद लिया था, तभी से वह उसके बड़े पिता-माता की भूमि की देखरेख करता था और उनकी भूमि पर कास्त करता था। साक्षी की जब से भिलाई में नौकरी लगी थी, तब से साक्षी ने विवादित भूमि को राजेश उर्फ राजेन्द्र मेरावी को अधिया में कास्त करने के लिए दी थी, जिसकी देखरेख उक्त साक्षी की पत्नी बैहर में रहकर करती थी। जब साक्षी के बड़े पिता की मृत्यु हुई थी, तब साक्षी ने तहसील बैहर के समक्ष फौती दाखिला दुरूस्ती के लिए आवेदन पेश किया था। तहसीलदार बैहर ने आवेदन की सुनवाई का इश्तेहार जारी कर संबंधित पटवारी से जांच करवाकर कोई आपित्त नहीं आने पर उक्त साक्षी का नाम विवादित भूमि पर नामांतरण किया था एवं विवादित भूमि की संशोधन पंजी को बनाया गया था।

- 10. भंवरसिंह प्र.सा.2 ने उसकी साक्ष्य में प्र.सा.1 की साक्ष्य के समान कथन करते हुए बताया है कि उसकी ग्राम मोहबट्टा में प्रति.क—1 की भूमि से लगी हुई भूमि है। जब विष्णुसिंह उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने आता था, तब उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने प्रति.क—1 भी आता था। विष्णुसिंह ने उक्त भूमि को निलामी में खरीदा था। प्रति.क.1 को गोद लेने के कारण उक्त भूमि पर उसका अधिकार है। वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रति.क.1 का कब्जा है। प्रति.क.1 ने उसके पक्ष समर्थन में प्रदर्श डी—1 की संशोधन पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। प्रदर्श डी—1 की संशोधन पंजी में यह उल्लेख है कि भूमि सर्वे नं—18 की भूमि विष्णुसिंह ने निलाम में क्य की थी।
- 11. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में बताया है कि विष्णुसिंह एवं सगनीबाई वादीगण के बड़े पिता एवं माता थे, वे लाऔलाद फौत हुए हैं। इस कारण उनकी विवादग्रस्त भूमि में वादीगण का हक एवं हिस्सा है। प्रति.क—1 के अधिवक्ता ने लिखित तर्क में बताया है कि वादीगण एवं प्रति.क—1 की जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 (1) में यह उल्लेखित है कि अन्तविष्ट किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम अन्तविष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों

- को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 25 के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू ना होगी। जब तक की केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे।
- 12. प्रति.क—1 ने न्यायदृष्टांत सोनाबाई मरावी व अन्य विरूद्ध सेन्ट्रल इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स एम.पी.एल.जे. 2016(2) प्रस्तुत किया है। इस न्यायदृष्टांत की प्रति में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण इस न्यायदृष्टांत पर विचार नहीं किया जा सका है।
- 13. वादीगण एवं प्रति.क—1 के तर्क पर विचार किया जाए तो प्रति.क—1 ने वादीगण एवं उस पर हिन्दू विधि लागू नहीं होना बताया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होना नहीं बताया है। वादीगण ने प्रति.क—1 की साक्ष्य एवं तर्क के खण्डन में प्रकरण में वह कौन सी रूढ़ि एवं प्रथा से शासित होती है। वादीगण ने उसकी रूढ़ि एवं प्रथा से संबंधित कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराये हैं। वादीगण ने उसकी रूढ़ि एवं प्रथा संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर उसकी रूढ़ि एवं प्रथा को प्रमाणित नहीं कराया है, इस कारण विवादग्रस्त भूमि में उनका अंश निर्धारित किया जाना एवं संशोधन पंजी क—12 दिनांक—28. 08.14 को शून्य घोषित किया जाना उचित नहीं है। वादीगण वादप्रश्न क—1 एवं 2 को उनके पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहें हैं।

वादप्रश्न कमांक-3 का निराकरण

14. इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार प्रति.क—1 पर है। उदयसिंह प्रति.क—1 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि उसे श्रीमती राधा ताराम अन्य पंचों के समक्ष उसकी बड़ी माँ सगनीबाई एवं बड़े पिता विष्णु ने गोद लिया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 13 में स्वीकार किया है कि उसे किसी कार्यक्रम में गोद नहीं लिया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा—11 में यह स्वीकार किया है कि उसके जवाबदावे में यह कहीं नहीं लिखा है कि उसके बड़े पिता ने उसे मौखिक रूप से गोदपुत्र लिया था। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में पहली बार गोद लेना बताया था। यदि किसी व्यक्ति को गोद लिया जाता है तो गोद लिए व्यक्ति के पिता का नाम बदल जाता है, जो व्यक्ति गोद लेता है, उसके पुत्र के नाम से गोद लिया व्यक्ति जाना जाता है, परंतु प्रति.क—1 ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि विष्णुसिंह एवं उसकी पत्नी ने प्रति.क—1 को गोद लिया था। प्रति.क—1 दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में असफल रहा है

कि विवादित संपत्ति के पूर्व स्वामी स्व. विष्णुसिंह एवं उसकी पत्नी सगनीबाई ने उसे गोदपुत्र लिया था। वादप्रश्न क-3 प्रमाणित नहीं माना जाता।

वादप्रश्न क -4 सहायता एवं व्यय

- 15. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण भूमि खसरा नंबर—18 रकबा 4. 057 हे. / 10.00 एकड प.इ.नं—18, मौजा मोहबट्टा, तह. बैहर, जिला बालाघाट की भूमि के संबंध में उनका वादपत्र प्रमाणित करने में असफल रहें हैं। अतः वादीगण का वादपत्र निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:—
- 1- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 2- अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / – (दिलीप सिंह) द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग–1 तहसील बैहर, जिला बालाघाट मेरे बोलने पर टंकित।

सह) (दिलीप सिंह)
गया० वर्ग-1 द्वितीय व्य०न्याया० वर्ग-1
त्रा बालाघाट तहसील बेहर, जिला बालाघाट